

अंतरिम बजट 2019-2020

वित्त मंत्री

पीयूष गोयल

का

भाषण

1 फरवरी, 2019

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भाग-क

2. आज मुझे श्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति बहुत खल रही है। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे साथ श्री जेटली के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र की सेवा के लिए उनकी दीर्घायु की कामना करेगा।
3. अध्यक्ष महोदया, भारत की जनता ने इस सरकार को मजबूत जनादेश दिया। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सर्वाधिक निर्णायक, स्थिर और स्वच्छ सरकार दी है और परिवर्तनकारी संरचनागत सुधार शुरू किए हैं। हमने उस नीतिगत अवरोध को उलट दिया है जिससे यह राष्ट्र पीड़ित था और हमने देश की छवि को सुधारा-संवारा है। इस सरकार की उपलब्धि रही कि हमने सोच को बदलने के अथक प्रयास किए और देश के आत्मविश्वास को जगाया।
4. मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत पूरी मजबूती से वापस विकास-पथ पर लौट आया है और विकास एवं समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमने सतत विकास, प्रगति और हमारी जनता के लिए बेहतर जीवन स्तर की बुनियाद रख दी है।
5. हम वर्ष 2022 तक, 'न्यू इंडिया' साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा : एक ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ है, जहां हरेक के पास अपना घर होगा जिसमें शौचालय होगा और पानी एवं बिजली उपलब्ध होगी; जहां किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी होगी; युवा वर्ग और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे; और एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

6. अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता मिली है। इस अवधि में देश में वृहत आर्थिक स्थिरता का सर्वोत्तम दौर देखा गया। हम विश्व की सबसे तेज विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसकी औसत जीडीपी वृद्धि पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार द्वारा हासिल की गई सर्वाधिक दर है। वर्ष 2013-14 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दर्जे से बढ़ते हुए आज हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उच्च वृद्धि दर हासिल करने के अलावा, हमने द्विअंकीय मुद्रास्फीति पर काबू पाया है और राजकोषीय संतुलन बहाल किया है।

7. मुद्रास्फीति गरीबों और मध्यम वर्ग पर आरोपित एक छुपे हुए और अन्यायपूर्ण कर के समान है। वर्ष 2009-2014 के दौरान मुद्रास्फीति की औसत दर 10.1 प्रतिशत की कमर तोड़ दर रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने काफी हद तक यह स्वीकार किया जब उन्होंने कहा “*हम जितना चाहते थे, सतत् मुद्रास्फीति को काबू में रखने में हम उतना सफल नहीं हो पाए हैं। यह मूलतः खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण हुआ है।*” इसकी तुलना में, हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। हमने औसत मुद्रास्फीति को कम करके उसे 4.6 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया जो किसी भी अन्य सरकार के कार्यकाल के दौरान की मुद्रास्फीति से कम है। वस्तुतः दिसम्बर, 2018 में मुद्रास्फीति केवल 2.19 प्रतिशत थी। यदि हमने मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया होता, तो हमारे परिवार आज भोजन, यात्रा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, आवास इत्यादि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर लगभग 35-40 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे होते।

8. राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग 6 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम करके 2018-19 संशोधित अनुमान में 3.4 प्रतिशत पर लाया गया। छह वर्ष पहले चालू खाता घाटा के 5.6 प्रतिशत के उच्च स्तर के मुकाबले इस वर्ष इसके जीडीपी के केवल 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिशों, जिन्हें हमने सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से स्वीकार किया, जिसके कारण राज्यों को उल्लेखनीय रूप से उच्चतर राशि के अंतरण के बावजूद हमने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखा है।

9. स्थिर और पूर्वानुमान योग्य विनियामक व्यवस्था, विकसित होती अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ मूल सिद्धांतों के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत भारी मात्रा में 239 बिलियन डालर तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित कर सका है। इस अवधि में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उदारीकरण में तेजी भी देखने को मिली है, जिससे अधिकांश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः मार्ग के जरिए किया जा रहा है।

10. अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में अगली पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की लहर रही है, जिससे कई दशकों के लिए उच्च वृद्धि का मंच तैयार हुआ है। हमने, माल और सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य कराधान सुधार शुरू करके आमूल सुधार लाए हैं।

बैंकिंग सुधार और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी)

11. वर्ष 2008-14 की अवधि अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के रूप में याद की जाएगी और जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अनर्जक ऋणों और भारग्रस्त आस्तियों में वृद्धि के लिए मुख्य कारण है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण इस अवधि के दौरान ₹18 लाख करोड़ से बहुत अधिक बढ़कर ₹52 लाख करोड़ हो गया। बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं जो या तो पूरी नहीं की गईं या उनके उपयोग की क्षमता कम थी जिसके फलस्वरूप अपने ऋणों की अदायगी करने में वे असमर्थ रहे। 2014 में ₹5.4 लाख करोड़ मूल्य की बहुत अधिक भारग्रस्त और अनर्जक परिसंपत्तियां थीं। बहुत सी परिसंपत्तियां पुनर्संरचना तरीके के जरिए छिपाई गईं थीं या अन्य जिनकी जानकारी वर्ष 2015 से शुरू की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षाओं और निरीक्षणों के दौरान मिली।

12. हमने ऐसे संदिग्ध प्रचालनों को बंद किया और "फोन बैंकिंग" की संस्कृति समाप्त की। पहचान, समाधान, पुनः पूंजीकरण और सुधारों का अनुसरण किया गया है। स्वच्छ बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों को कार्यान्वित किया गया है। पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया के जरिए हमने इन अनर्जक आस्तियों की पहचान की है। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता ने समाधान-अनुकूल तंत्र को संस्थानगत रूप दिया, जो अंतर्निहित व्यवसायों और नौकरियों को बरकरार रखते हुए अनर्जक ऋणों की वसूली में सहायता कर रहा है। पहले सिर्फ छोटे बिजनेसमैन पर ऋण वापस करने का दबाव होता था और बड़े बिजनेसमैन के लोन की चिंता बैंक की होती थी। परन्तु आज चूककर्ता प्रबंधन तंत्र या तो इसका भुगतान कर रहे हैं या अपना कारोबार छोड़ रहे हैं। बैंकों और ऋणदाताओं के पक्ष में तकरीबन ₹3 लाख करोड़ की राशि पहले ही वसूली जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए ₹2.6 लाख करोड़ का निवेश करके पुनः पूंजीकरण किया गया है। बैंकों का एकीकरण भी किया गया है ताकि किफायत बरतने की विधियों, पूंजी तक बेहतर पहुंच का लाभ उठाया जा सके तथा अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम

13. हमने पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत की है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) और बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 स्थावर संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में सहायता कर रहे हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 उन आर्थिक अपराधियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने और उनका निबटान करने में सहायता करेगा, जो देश के न्यायाधिकार से बच निकलते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने कोयला और स्पेक्ट्रम सहित प्राकृतिक संसाधनों की पारदर्शी नीलामी की है। हमने जो कहा सो किया।

स्वच्छता

14. वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन आरंभ किया है। भारत

ने लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल की है और लगभग 5.45 लाख गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यक्रम है और लोगों की सोच बदलने में सफल रहा है। व्यापक जन भागीदारी से लोगों ने इसे एक सरकारी योजना से राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए मैं देश की 130 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसे पूरे हृदय से अपनाया।

गरीब और पिछड़े वर्ग

15. देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो कि एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, को पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए, गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में औसतन 25% अतिरिक्त सीट्स, (लगभग 2 लाख) उपलब्ध कराई जाएगी जिससे किसी भी वर्ग हेतु वर्तमान में उपलब्ध/आरक्षित सीट्स में कोई कमी न आए।

16. गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग ₹1,70,000 करोड़ व्यय किए गए जो वर्ष 2013-14 में खर्च किए गए ₹92,000 करोड़ से लगभग दोगुना है। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए ब.अ. 2019-20 में ₹60,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

17. हमने देश में शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने के लिए काम किया है। इस गरिमायम सदन में माननीय सदस्य, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, इस बात पर सहमत होंगे कि विगत में अनेकों बार ग्रामीण जनता के लिए खोखले वादे किए गए हैं। हमने पिछले पांच वर्षों के दौरान, उनके जीवन की गुणवत्ता चंहु ओर से सुधारने के लिए लक्षित व्यय किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि गाँव की आत्मा बरकरार रखते हुए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।

18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना वृद्धि हुई है। कुल 17.84 लाख बस्तियों में से 15.80 लाख बस्तियों को पक्की सड़कों से पहले ही जोड़ा जा चुका है और बहुत जल्द ही शेष कार्य पूरा करने का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ब.अ. 2019-20 में ₹19,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है जबकि सं.अ. 2018-19 में इसके लिए ₹15,500 करोड़ का आवंटन दिया गया था। जहां पहले एक गरीब बच्चा टूटी पगडंडी पर चल कर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है। 2014-18 की अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 1.53 करोड़ मकान बनाए गए हैं।

19. 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के 18वीं सदी की जिंदगी जीने को मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। हमने मिशन मोड में, निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना ₹50,000 करोड़ की बचत हो रही है।

20. अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल में बहुत अधिक प्रगति हुई है। पहले एक गरीब व्यक्ति इस धर्म संकट में होता था कि वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। हमने विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' शुरू किया है जो लगभग 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा उपचार मुहैया कराएगा। पहले ही लगभग 10 लाख रोगियों ने स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क उपचार के जरिए चिकित्सा उपचार का फायदा उठाया है जिसके लिए ₹3,000 करोड़ खर्च करना पड़ता। लाखों निर्धन और मध्य वर्ग के लोग आवश्यक दवाइयों, कार्डियक स्टेंट और घुटनों के इम्प्लांट की कीमत में कटौती और प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के जरिए कम मूल्य पर दवाइयों की उपलब्धता से भी लाभान्वित हो रहे हैं।

21. इस समय देश में 21 एम्स कार्यरत हैं या स्थापित किए जा रहे हैं। इन 21 एम्स में से 14 एम्स की घोषणा 2014 से की गई है। 22वां नया एम्स हरियाणा में खोलने की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

22. महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के 115 अति पिछड़े जिलों में लक्षित विकास कर रहा है। इस कार्यक्रम से उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए गए हैं और सभी संकेतकों-स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के कार्यनिष्पादन में सुधार आया है।

किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि

23. अध्यक्ष महोदया, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार, सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित किया है।

24. कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बनी हुई है। हमारे परिश्रमी किसानों ने विगत साढ़े चार वर्षों में सरकार की किसान समर्थक नीतियों से सहायता पाकर रिकार्ड मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि संबंधी वस्तुओं की गिरती कीमतें और 2017-18 से खाद्य भिन्न क्षेत्र के सापेक्ष भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की वजह से, कृषि से आमदनी कम हो गई है। बारंबार विभाजन के कारण छोटी और विखंडित जोतों के कारण भी कृषक परिवार की आय में गिरावट आई है। इसलिए, देश में निर्धन भू-स्वामी किसान परिवारों को संरचित आय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता है जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि इन्पुट खरीदने में और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करना। ऐसी सहायता से उन्हें ऋण ग्रस्त होने तथा साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकता है।

25. छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अर्थात् 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान' शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी कमजोर भू-स्वामी किसान परिवारों

को प्रति वर्ष ₹6000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह आय सहायता प्रत्येक ₹2000 की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम का निधि पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है। इस कार्यक्रम को 1 दिसम्बर, 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान किया जाएगा। इस कार्यक्रम से ₹75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा।

26. 'पीएम-किसान' कार्यक्रम से अति निर्धन किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय प्रदान की जाएगी अपितु विशेषकर कटाई के मौसम से पहले उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। 'पीएम-किसान' किसानों के लिए आय अर्जित करने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

27. मैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 'पीएम-किसान' हेतु ₹75,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में ₹20,000 करोड़ भी देता हूँ।

28. पिछले पांच वर्षों में, किसानों को सस्ते ऋण देने के लिए ब्याज सब्सिडी की राशि को दोगुना कर दिया गया है। किसानों का फसली कर्ज 2018-19 में बढ़कर ₹11.68 लाख करोड़ हो गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उत्तम बीज, सिंचाई योजना और नीम कोटेड यूरिया द्वारा खाद की कमी को दूर कर, किसान की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास हुआ है।

29. पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र को भी काफी सहायता की जरूरत है। मैंने इसी मौजूदा साल में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के लिए आवंटन को बढ़ाकर ₹750 करोड़ कर दिया है। गऊ संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैं 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' बनाने की घोषणा करता हूँ। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणकारी स्कीमों के कार्य को भी देखेगा।

30. भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसकी वैश्विक उत्पादन में 6.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालिया वर्षों में भारत ने 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह सेक्टर प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.45 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इस सेक्टर के विकास पर निरंतर पूरा ध्यान देने के लिए, सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है।

31. पिछले बजट में, हमारी सरकार ने पशुपालन और मछलीपालन में लगे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (केसीसी) की सुविधा देने की घोषणा की थी। मैं, अब पशुपालन और मछली पालन के कार्यकलापों में कार्यरत उन किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लाभ का प्रस्ताव करता हूँ जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं। यही नहीं, यदि वे अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।

32. सुलभ एवं रियायती ऋण सुनिश्चित करने तथा सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए, हमारी सरकार ने एक सरलीकृत आवेदन फार्म लाकर व्यापक अभियान चलाने की पहल करने का निर्णय लिया है।

33. जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब आमतौर पर किसान अपने फसल ऋणों को चुका नहीं पाते हैं। वर्तमान में, फसल ऋणों को ऐसे प्रभावित किसानों के लिए पुनः निर्धारित किया गया है और वे 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ पुनः निर्धारित ऋण के पहले वर्ष के लिए ही प्राप्त कर पाते हैं। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) द्वारा सहायता पहुंचाई गई है, से प्रभावित सभी किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और उनके ऋणों के पुनर्निर्धारण की संपूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा

34. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए। पिछले पांच वर्षों में भारत में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है।

35. तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसके औपचारीकरण ने रोजगार अवसरों को बढ़ाया है जैसा कि ईपीएफओ सदस्यता में दर्शाया गया है, जहां दो वर्षों में रोजगार अवसरों में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हुई है जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के औपचारीकरण को प्रतिबिंबित करता है।

36. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और उदार किया गया। कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14% कर दिया है। श्रमिकों को दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को ₹3,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर ₹7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को ₹10,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दिया गया। ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी 42% की वृद्धि हुई जो आज तक सर्वाधिक है। ईएसआई की सुरक्षा पात्रता की सीमा भी ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दी गई। प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी ₹1,000 प्रति माह तय कर दी गई है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख तक सुनिश्चित की गई है। आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्मिकों के मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।

37. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के उन 42 करोड़ कामगारों के पसीने और अथक परिश्रम से बनता है जो रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इस तरह के अन्य कई सारे व्यवसाय करते हैं। घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, खासकर उनकी वृद्धावस्था के दौरान। इसलिए, 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा और 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' तथा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत प्रदान की गई जीवन और विकलांगता

संबंधी बीमा कवरेज के अलावा हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन** नामक वृहत पेंशन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करती है जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है। इस पेंशन योजना से अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान करने से उन्हें 60 वर्ष की आयु से ₹3000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल ₹100 प्रति माह का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा। 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को मात्र ₹55 प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। सरकार प्रत्येक माह कामगार के पेंशन खाते में बराबर की राशि जमा करेगी। आशा है कि अगले पांच वर्षों के भीतर असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक और कामगार **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन** योजना का लाभ लेंगे जिससे यह योजना विश्व की सबसे बड़ी पेंशन स्कीमों में से एक बन जाएगी। इस स्कीम के पहले साल के लिए ₹500 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त निधियां भी प्रदान की जाएंगी। यह स्कीम चालू वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी।

38. हमारी सरकार देश के सबसे अधिक वंचित नागरिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये समुदाय मुख्यधारा से कटे हुए हैं और संख्या में कम हैं, इसलिए प्रायः पीछे छूट जाते हैं। घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदाय अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। रेणके आयोग और इदाते आयोग ने इनकी पहचान करने और इन्हें सूचीबद्ध करने में प्रशंसनीय कार्य किया है। जिन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों को अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनकी पहचान का कार्य पूरा करने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा। सरकार विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के लिए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याण विकास बोर्ड भी स्थापित करेगी। यह बोर्ड पहुंच से दूर इन समुदायों के कल्याण हेतु विशेष कार्यनीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

महिला विकास से महिला प्रेरित विकास

39. अध्यक्ष महोदया, हमने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हम ग्रामीण भारत की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करके इनके जीवन के स्तर में सुधार लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहिणी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय आंसू न बहाने पड़ें, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ्त बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना में 6 करोड़ कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं और शेष मुफ्त कनेक्शन अगले साल तक दिए जाएंगे। उज्ज्वला सरकार के कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सफल गाथा है जिसे एक जिम्मेदार और करुणामय नेतृत्व के अधीन साहसिक किंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है।

40. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं जो अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए किफायती और बिना कोलेटरल के ऋण प्राप्त कर रही हैं। अन्य कई उपायों में, गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ दिया गया है जिससे गर्भवती महिलाएं काम में सहभागी बनने में सक्षम होंगी।

अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए युवा वर्ग का सशक्तिकरण

41. भारत विश्व के सर्वाधिक युवा-राष्ट्र में से एक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से एक करोड़ से अधिक युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने मुद्रा, स्टार्ट-अप-इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी स्व-रोजगार स्कीमों के माध्यम से युवा शक्ति का दोहन किया है। मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ ऋण दिए गए हैं जिनकी कुल राशि ₹7,23,000 करोड़ बैठती है। पूरी दुनिया में रोजगार की कल्पना बदल रही है, अब सिर्फ सरकारी नौकरियां या कारखाने में रोजगार उपलब्ध नहीं होता। नौकरी मांगने वाले अब स्वयं नौकरी देने में सक्षम हो गए हैं। इसके चलते, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन गया है। हमारे युवाओं की कड़ी मेहनत और विचारों की नवीनता से हम सब गौरवान्वित हैं।

42. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इसे उत्कृष्टा केंद्रों के साथ एक हब के रूप में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना से उत्प्रेरणा मिलेगी। 9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल भी शीघ्र विकसित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और व्यापारियों का सशक्तिकरण

43. सरकार ने करोड़ों को रोजगार देने वाले लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में ₹1 करोड़ तक के ऋण की योजना शुरू की गई है। जीएसटी-रजिस्टर्ड एसएमई इकाइयों को 1 करोड़ की वृद्धिशील ऋण पर 2% ब्याज की छूट मिलेगी। सरकारी उपक्रमों से एसएमई की सोर्सिंग की आवश्यकता को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इसके लिए, कम से कम 3 प्रतिशत सामग्री महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उपक्रमों से प्राप्त की जाएगी।

44. हमारी सरकार ने दो साल पहले गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की स्थापना की थी। इसके जरिए सरकारी खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली और दक्ष होकर रुपान्तरित हो गई है। एमएसएमई भी अपने उत्पाद जीईएम के माध्यम बेच सकते हैं। जीईएम के माध्यम से, ₹17,500 करोड़ से अधिक का लेन-देन हो चुका है, जिससे औसतन 25-28% की बचत हुई है। जीईएम प्लेटफॉर्म की सेवाओं को अब केंद्र सरकार के सभी उद्यमों तक बढ़ाया जा रहा है।

45. हमने घरेलू व्यापार और सेवाओं को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को "खुदरा व्यापार सहित आंतरिक व्यापार का संवर्द्धन और व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों का कल्याण" नामक विषय सौंपा है। अब इस विभाग का नाम 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' हो जाएगा।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढीकरण

46. अध्यक्ष महोदया, हमारे सैनिक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारा गर्व और सम्मान हमारे सैनिक हैं। हमने भी उनके सम्मान का ख्याल रखा। अपने चुनावी घोषणा पत्र में, हमने 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू करने का वचन दिया था। पिछले 40 सालों से रुके हुए इस कार्य को अब हमने पूरा किया है। पिछली सरकारों ने तीन बजटों में इसकी घोषणा की थी परंतु उन्होंने वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट में मात्र ₹500 करोड़ मंजूर किए थे; इसके विपरीत हमने इस स्कीम को सही अर्थ में लागू करके ₹35,000 करोड़ से अधिक की राशि बांटी है। सरकार ने रक्षा सेवा के सभी कर्मिकों को मिलीटरी सर्विस पे (एमएसपी) और अधिक जोखिम वाली ड्यूटी पर तैनात नौ सैनिकों और वायु सैनिकों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी।

47. 2019-20 में हमारा रक्षा बजट पहली बार ₹3,00,000 करोड़ से अधिक हो जाएगा। हमारी सीमाओं की रक्षा करने और उच्च कोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यक हुआ, तो रक्षा बजट में और अधिक बढ़ोतरी की जाएगी।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को समर्थन

48. आज, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति इस बात को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनकी मातृभूमि भारत उनकी शुभचिंतक है और जरूरत के समय उनकी सहायता की जाएगी। भारत के बदलते स्वरूप के कारण दुनिया भर में भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्ति को गर्व और सम्मान की अनुभूति होती है। हमने भारत के साथ इनके संपर्क को मजबूत बनाने, भारत में इनके निवेश को सुगम बनाने और इनकी यात्रा को सरल-सुखद बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

अवसंरचना का विकास

49. अवसंरचना किसी भी देश के विकास और अच्छे जीवन-स्तर की रीढ़ है। चाहे राजमार्ग हों या रेलवे या एयरवे या डिजि-वे ही क्यों न हों, हमने देश की कायापलट के लिए उत्तरोत्तर प्रगति का हर संभव प्रयास किया है।

50. आज तक सामान्य नागरिक भी "उड़ान" योजना के कारण हवाई जहाज में सफर कर परा रहा है। सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ ही प्रचालनरत हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। घरेलू हवाई यातायात पिछले पांच वर्षों में दुगुना हो गया है जिसके फलस्वरूप रोजगार भी भारी संख्या में पैदा हुआ है। आज, प्रति दिन 27 कि.मी. राजमार्ग के निर्माण

के चलते भारत विश्व में सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला देश बन गया है। दिल्ली के आस-पास पूर्वी पेरिफेरल राजमार्ग अथवा असम और अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल जैसी दशकों तक रूकी हुई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। देश के तटीय क्षेत्र में सागर माला के प्लैगशिप कार्यक्रम से पत्तनों का विकास होगा जिससे आयातों और निर्यातों का प्रबंधन करने में तेजी आएगी। पहली बार, कंटेनर माल की आवाजाही कोलकाता से वाराणसी तक अंतर्देशीय जलमार्गों पर शुरू हो चुकी है। हमारी सरकार ब्रह्मपुत्र नदी की नौवहन क्षमता में सुधार करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कंटेनर कार्गो की आवाजाही की शुरुआत करेगी।

51. भारतीय रेलवे के इतिहास में यह वर्ष सर्वाधिक सुरक्षित वर्ष रहा है। ब्रॉड गेज लाइनों पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। पहली देश में ही विकसित और विनिर्मित सेमी हाई स्पीड "वंदे भारत एक्सप्रेस" को चलाने से भारतीय यात्रियों को गति, सेवा और सुरक्षा का विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त होगा। हमारे इंजीनियरों द्वारा पूर्णतः विकसित प्रौद्योगिकी में यह बड़ी छलांग मेक इन इंडिया को गति प्रदान करेगी और रोजगार सृजित करेगी। रेलवे के लिए बजट से वर्ष 2019-20 (ब.अ.) में ₹64,587 करोड़ की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है। रेलवे का समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम ₹1,58,658 करोड़ है। प्रचालन अनुपात वर्ष 2017-18 के 98.4 प्रतिशत से सुधरकर वर्ष 2018-19 (सं.अ.) में 96.2 प्रतिशत तथा आगे और अधिक बेहतर होकर वर्ष 2019-20 (ब.अ.) में 95 प्रतिशत होने की संभावना है।

52. भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने में प्रतिबिंबित होती है, जो पहला संघि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत की संस्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले पांच वर्षों में दस गुना से अधिक हो गई है। यह क्षेत्र अब नए जमाने के लाखों रोजगार पैदा कर रहा हल

53. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत की निर्भरता हमारी सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण रहा है। यद्यपि हमने बायो ईंधन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मांग वृद्धि को कम करने के लिए कई सारे उपाय किए हैं, फिर भी हायड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि आयात को घटाया जा सके। हमारी सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने विशिष्ट सिफारिशों की हैं जिनमें श्रेणी II और III बेसिन के लिए अन्वेषण की बोली प्रणाली को राजस्व साझेदारी के बजाय उच्च अन्वेषण कार्यक्रम में परिवर्तित करना शामिल है। सरकार शीघ्र ही इन सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी।

54. पूर्वोत्तर की जनता को भी अवसंरचना विकास के लाभ मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में हवाई मार्ग के मानचित्र पर दर्ज हुआ है तथा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर उभरे हैं। 2018-19 (ब.अ.) की तुलना में 2019-20 (ब.अ.) में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाकर ₹58,166 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया क्रांति

55. अध्यक्ष महोदया, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक खपत करने वाले देश बन गया है। मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्षों में 50 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। भारत में अब कॉल और डेटा की कीमत संभवतः विश्व में सबसे कम हैं। आज, मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोबाइल और मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक हो गई है जो रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रही हैं। 3 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामान्य सेवा केंद्र गांवों में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं। सरकार 1 लाख गांवों को अगले पांच सालों में डिजिटल गांव बना देगी।

56. जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 50 वर्ष पहले किया गया था लेकिन देश का अधिकांश हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अभाव में आर्थिक मुख्यधारा से अभी तक अछूता था। पिछले पांच वर्षों, में लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। आधार को अब सार्वभौम तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे बिचौलियों को समाप्त करके गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे उनके बैंक खातों में धन जमा करके सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

मनोरंजन

57. मनोरंजन उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र है। मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध थी, अब भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। विनियामक प्रावधान विशेषकर फिल्मों को मंजूरी देने के लिए स्व-घोषणा पर अधिक निर्भर रहेंगे। हम पाइरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल करेंगे।

करदाताओं के लाभार्थ प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण

58. अध्यक्ष महोदया, हमारे प्रत्यक्ष करदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए, हमने आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए कर दरों में कटौती की है और कर विभाग के साथ संपर्क को कहीं अधिक सरल और मुख्यतः चेहराविहीन बनाया है। इसके कारण कर संग्रहण वर्ष 2013-14 के ₹6.38 लाख करोड़ से काफी बढ़कर इस वर्ष लगभग ₹12 लाख करोड़ हो गया है। दाखिल की गई कर विवरणियों की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है जो कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। मैं भारत के ईमानदार करदाताओं को हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने उनके अंशदान का उपयोग गरीबों की सेवा करने और बेहतर अवसंरचना विकसित करने के लिए किया है।

59. आयकर विभाग अब आनलाइन कार्य करता है। विवरणियों, निर्धारणों, धनवापसी तथा प्रश्नों पर आनलाइन कार्रवाई की जाती है। पिछले वर्ष, आयकर विवरणियों में से 99.54 प्रतिशत दाखिल करते ही स्वीकृत की गई थीं। सरकार ने आय कर विभाग को अधिक निर्धारिती हितैषी बनाने के लिए आमूल परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी गहन परियोजना को मंजूरी दी है। सभी विवरणियों को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया जाएगा और साथ-साथ धन वापसी जारी की जाएगी। अगले दो वर्षों के दौरान हम जांच-पड़ताल के लिए चुनी गई सभी विवरणियों का सत्यापन और मूल्यांकन अज्ञात बैंक आफिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर सकेंगे जिसका संचालन कर विशेषज्ञ और कर्मचारी करेंगे जिसमें करदाता कर अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर सकेंगे।

60. वर्ष 2014 में जबसे हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से ही हमारी प्राथमिकता मध्यमवर्ग पर कर के भार को कम करने की रही है। हमने बुनियादी छूट की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दी और कर में छूट दी ताकि ₹3 लाख तक आय वाले लोगों को कोई कर न देना पड़े। हमने ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की कर स्लैब के लिए कर की दर में कमी कर 10% से 5% भी कर दिया और वेतनभोगी वर्ग के लिए ₹40,000 की मानक कटौती शुरू की। धारा 80ग के अंतर्गत बचत की कटौती को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिया गया। जिस मकान में रह रहे हों, ऐसी गृह संपत्ति के लिए ब्याज की कटौती को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया।

61. छोटे व्यापारियों और स्टार्ट अप के लिए विशेष लाभ और प्रोत्साहन भी दिए गए। अनुपालन की पूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। व्यापार के पूर्वानुमानित कराधान के लिए प्रारंभिक सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई। आरंभिक सीमा ₹50 लाख रुपए करके पहली बार पूर्वानुमान कराधान का लाभ छोटे पेशेवरों को दिया गया। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूर्वानुमान लाभ दर 8% से घटाकर 6% कर दी गई है। ₹250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों, जिनमें लगभग 99% कंपनियां आती हैं, उनके लिए कर की दर कम करके उसे 25% किया गया। यह दर नई विनिर्माण कंपनियों के लिए भी लागू थी। जिनके लिए कारोबार की सीमा नहीं रखी गई है।

उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लाभ के लिए जीएसटी में सुधार

62. माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधार पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग एक दशक तक खिंचता रहा। हमारी सरकार ने जीएसटी का कार्यान्वयन किया जो निस्संदेह आजादी मिलने के बाद कराधान के संबंध में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले और कर पर प्रपाती प्रभाव डालने वाले सत्रह अलग-अलग करों को एक जीएसटी में मिला दिया गया। भारत एक साझा बाजार बन गया। जीएसटी के कारण कर के आधार में बढ़ोत्तरी हुई है, ज्यादा कर वसूली हुई हैं और व्यापार में सुगमता आई है। जीएसटी से रोजमर्रा के प्रचालनों और मूल्यांकनों के लिए कर-दाता और सरकार के बीच का सम्पर्क कम होगा। अब विवरणियां पूरी तरह आनलाइन भरी जाती हैं और ई-वे बिल सिस्टम की व्यवस्था की गई है।

प्रवेश कर, चौकियां (पोस्ट) और ट्रकों की लाइन न होने से अन्तर्राज्यीय आवाजाही गति तेज, कार्यकुशल और बाधा रहित बनी है।

63. जीएसटी से पहले के समय में अनेक वस्तुओं पर लगाया जाने वाले अधिक कर को युक्तिसंगत बनाया गया है और उपभोक्ताओं विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग पर प्रभारित कर के भार में काफी कमी की गई है। केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से जीएसटी से पूर्व की दरों से कम दरों पर जीएसटी दरों को अंतिम रूप दिया। तब से, दरों में लगातार कमी की गई है जिससे उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष लगभग ₹80,000 करोड़ की राहत मिली है। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं अब 0% या 5% के कर-स्लैब में हैं। 12% की दर पर सिनेमा देखने के लिए जाने वाले लोगों को 50% तक अनेक टैक्स देने होते थे, अब उन्हें बहुत कम टैक्स देना होता है। हमारी सरकार चाहती है कि मकान खरीदने वाले लोगों पर जीएसटी का भार कम किया जाए और ऐसा करने के लिए हमने जीएसटी परिषद से एक मंत्री समूह नियुक्त करने की पेशकश की ताकि इस संबंध में यथाशीघ्र जांच कर सिफारिशें की जाएं।

64. जीएसटी का उद्देश्य छोटे व्यापारियों, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचाना है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी से छूट ₹20 लाख से दोगुनी कर ₹40 लाख कर दी गई है। इसके अलावा, ₹1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को एक आकर्षक कंपोजीशन स्कीम की पेशकश की गई है जिसमें वे केवल एक वार्षिक विवरणी में 1% की समान दर से कर अदा करते हैं। इसी प्रकार, ₹50 लाख तक के छोटे सेवा प्रदाता अब कंपोजीशन स्कीम का विकल्प दे सकते हैं और 18% की बजाय 6% की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। 35 लाख से अधिक छोटे व्यापारी, विनिर्माता और सेवा प्रदाता इन व्यापारी हितैषी उपायों से लाभान्वित होंगे। जल्दी ही, जीएसटी का भुगतान करने वाले 90% से अधिक व्यापारियों को तिमाही विवरणी ही भरनी होगी।

65. ऐसी बड़ी दर कटौतियां और छूटों के बावजूद, राजस्व की प्रवृत्ति उत्साहजनक है। चालू वर्ष में औसत मासिक कर संग्रहण ₹97,100 करोड़ प्रति माह रहा है जबकि प्रथम वर्ष में यह ₹89,700 करोड़ प्रतिमाह था। राज्यों के राजस्व में सुधार हो रहा है जहां पहले पांच वर्षों के लिए राजस्व में 14% की वृद्धि की गारंटी है।

सीमा-शुल्क और सीमा पार व्यापार में सुधार

66. 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए, हमने सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया है। हमारी सरकार ने 36 महत्वपूर्ण वस्तुओं पर शुल्कों को समाप्त कर दिया है। विनिर्माण और निर्यात के लिए आयात शुल्क मुक्त पूंजीगत माल और निविष्टियों के आयात की संशोधित प्रणाली शुरु किए जाने के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत एक स्थल पर अनुमोदन शुरु किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग निर्यात/आयात लेन-देन का पूरा और व्यापक डिजिटलीकरण शुरु कर रहा है और निर्यात से जुड़ी संभारिकी में सुधार लाने के लिए आरएफआईडी का प्रयोग कर रहा है।

काले धन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी

67. हमारी सरकार अपने देश से काले धन की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान काला धन कानून, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, और नोटबंदी के रूप में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से ₹1,30,000 करोड़ के मूल्य की आस्तियां कर के दायरे में आई हैं, लगभग ₹50,000 करोड़ की परिसंपत्तियां जब्त और कुर्क की गई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी रखने वाले लोगों को अपनी आय के साधन बताने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस अवधि के दौरान, लगभग ₹6,900 करोड़ की बेनामी आस्तियां और ₹1,600 करोड़ की विदेशी आस्तियों को जब्त कर लिया गया है। 3,38,000 शेल कंपनियों की पहचान की गई है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और उनके निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18% की वृद्धि और कर आधार में वृद्धि हुई है जब वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आय कर विवरणी दाखिल की। यह सब मुख्यतः विमुद्रीकरण के कारण ही संभव हो सका।

अगले दशक के लिए विज़न

68. अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आने वाले समय के लिए भारत के विकास की बुनियाद रख दी है। हमने उन अनेक समस्याओं को सुलझाया है, जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की संपूर्ण क्षमता को हासिल करने में रोड़ा अटका रही थी। अगले पांच वर्षों में हम 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और इसके बाद अगले 8 वर्षों में 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखते हैं।

69. भारतीय संस्कृति में, जो कुछ भी शुभ है, उसके द्वारा दसों दिशाओं में शुभ सृजन और शुभ कर्म की ही अपेक्षा की जाती है। मैं 2030 के भारत के लिए दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों के लिए अपना विज़न प्रस्तुत करूंगा।

70. इस विज़न का पहला आयाम 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन के लिए भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा। इसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, शहरी परिवहन, गैस और विद्युतीय पारेषण और अंतर्देशीय जलमार्ग की अगली पीढ़ी की अवसंरचना शामिल होगी। सामाजिक अवसंरचना के मोर्चे पर प्रत्येक परिवार के पास रहने को अपना आवास होगा, और वे लोग एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक अच्छे माहौल में रहेंगे।

71. हमारे विज़न का दूसरा आयाम एक डिजिटल भारत का निर्माण करना है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, देश के कोने-कोने में पहुंचेगी और हम सभी भारतवासियों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। सरकारी प्रक्रियाओं और निजी संव्यवहारों के डिजिटलीकरण से हालिया वर्षों में प्राप्त सफलता के दम पर 2030 की डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। इस प्रयास में हमारा युवा वर्ग डिजिटल भारत के सृजन में बेशुमार स्टार्ट-अप और इस इकोसिस्टम में मिलियन रोजगार का सृजन करते हुए नेतृत्व करेगा।

72. भारत को हरी भरी धरती और साफ स्वच्छ नीले आसमां वाला एक प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाना हमारी विज्ञान का तीसरा आयाम है। यह भारत बिजली की गाड़ियों पर दौड़ेगा जहां नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होगी। भारत बिजली की गाड़ियों और ऊर्जा संग्रहण उपकरणों के जरिए परिवहन क्रांति में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आयात पर निर्भरता कम होगी और हमारी जनता के लिए ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

73. आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विस्तार करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना हमारी विज्ञान का चौथा आयाम है। यह आयाम 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण पर आधारित होगा ताकि जमीनी स्तर के क्लस्टर, संरचनाएं और तंत्र विकसित किए जा सकें जिसमें देश के कोने-कोने में फैले एमएसएमई, ग्राम उद्योग और स्टार्टअप शामिल किए जाएंगे। भारत अब विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक निर्माण हब बनने जा रहा है, जिसमें आटोमोबाइल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और चिकित्सा उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

74. हमारी नदियां और जलाशय हमारे जीवन के आधार हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। 2030 के भारत के लिए हमारे विज्ञान का पांचवां आयाम स्वच्छ नदियां हैं। जिसमें सभी भारतीयों को स्वच्छ पेयजल, जीवन को पोषण देने वाले जल का लघु सिंचाई तकनीकों के प्रयोग के जरिए सिंचाई में जल का सक्षम तरीके से उपयोग शामिल है।

75. तटवर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी सार्थक जिंदगी सुनिश्चित करने हेतु, विशेष रूप से "ब्लू इकोनोमी" का दोहन करके, भारत की लंबी तटरेखा अर्थव्यवस्था की शक्ति बन सकती है। सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में हम तेजी लाएंगे और तेजी से अन्य आंतरिक जलमार्ग विकसित करेंगे। हमारे विज्ञान का छठा आयाम हमारी तटरेखा और समुद्र हैं जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

76. हमारे विज्ञान का सातवां आयाम हमारा अनंत आकाश है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने के लिए "लांच पैड" बन गया है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना हमारे विज्ञान के आयाम को दर्शाता है।

77. खाद्यान्न में भारत को आत्म निर्भर बनाना, विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व को खाद्यान्न निर्यात करना और सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न पैदा करना हमारे विज्ञान का आठवां आयाम है। "मूल्य-वर्धन" पर ध्यान केंद्रित करके आधुनिक कृषि पद्धतियों के जरिए उच्च कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्त की जाएगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण पैकेजिंग और शीतगारों के रख-रखाव पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

78. स्वस्थ भारत हमारे विज्ञान का नौवां आयाम है। आरोग्यकर वातावरण और आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना के समर्थन के साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने पर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। 2030 तक, हम, सभी के लिए मुक्त स्वास्थ्य देख-रेख और एक कार्यात्मक तथा व्यापक आरोग्यकर प्रणाली की दिशा में कार्य करेंगे। समान अधिकार, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के साथ महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के स्वस्थ भारत का निर्माण किया जाएगा।

79. हमारे विज्ञान को टीम इंडिया अर्थात भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले राष्ट्र में कायापलट करने वाली चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे सहकर्मियों और अधिकारियों द्वारा मूर्त रूप दिया जा सकता है। यह दसवां आयाम है। 2030 के हमारे भारत में ऐसे कर्मठ और जिम्मेदार अधिकारी होंगे जो जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार करेंगे।

80. इस व्यापक दस आयाम वाले विज्ञान के साथ, हम एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता का नामोनिशान नहीं होगा। भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी चालित, उच्च विकास, समरसतापूर्ण और पारदर्शी समाज होगा।

वर्ष 2019-20 और इससे आगे के राजकोषीय कार्यक्रम

81. मैं आज जिस आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% है। वर्ष 2018-19 के लिए यदि हम राजकोषीय घाटा 3.3% पर बनाए रखते तो 2019-20 में राजकोषीय घाटे को समेकित करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते थे। तथापि, हमने किसानों को आमदनी बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए सं.अ. 2018-19 में ₹20,000 करोड़ और ब.अ. 2019-20 में ₹75,000 करोड़ की राशि की व्यवस्था की है। यदि हम इस आमदनी समर्थन को छोड़ दे तो, 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 3.3% से कम और 2019-20 के लिए 3.1 प्रतिशत से कम होता।

82. सं.अ. 2018-19 में कुल व्यय ₹24,57,235 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹27,84,200 करोड़ हो गया है अर्थात इसमें ₹3,26,965 करोड़ अथवा लगभग 13.30% की वृद्धि हुई है। कम मुद्रास्फीति को देखते हुए यह उच्च वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय ₹3,36,292 करोड़ होने का अनुमान है। ब.अ. 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए ₹3,27,679 करोड़ की राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है जबकि सं.अ. 2018-19 में ₹3,04,849 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन सं.अ. 2018-19 में ₹32,334 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹38,572 करोड़ किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के लिए आवंटन सं.अ. 2018-19 में ₹23,357 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹27,584 करोड़ किया जा रहा है।

83. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव है। ब.अ. 2018-19 में अनुसूचित जाति के लिए ₹56,619 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। इसे सं.अ. में बढ़ाकर ₹62,474 करोड़ कर दिया गया है। इस आवंटन को ब.अ. 2019-20 में पर्याप्त रूप से बढ़ाकर ₹76,801 करोड़ किए जाने, अर्थात ब.अ. 2018-19 के मुकाबले 35.6% वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी ब.अ. 2018-19 में ₹39,135 करोड़ की तुलना में ब.अ. 2019-20 में प्रस्तावित आवंटन राशि को 28% बढ़ाकर ₹50,086 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव है।

84. हमने सरकारी उद्यमों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी उद्यम परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यसूची का अनुसरण किया है। कुल मिलाकर, 57 सीपीएसई ₹13 लाख करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ सूचीबद्ध हैं। 2017-18 के दौरान, सरकार को विनिवेश आय से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष ₹80,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

85. हमने 2020-21 तक 3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी गति और लय बरकरार रखी है। वर्ष 2017-18 में भारत का ऋण और जीडीपी अनुपात 46.5% था। एफआरबीएम अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि 2024-25 तक भारत सरकार का ऋण और जीडीपी अनुपात घटाकर 40% तक लाया जाना चाहिए। राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम को पूरा करने के साथ-साथ अब हम ऋण समेकन पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे।

86. पिछले वर्ष हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम, वित्तीय प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगाए गए और एकत्रित किए गए स्टाम्प शुल्क में सुधार करेंगे। मैं, इस वित्त विधेयक के जरिए, इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। प्रस्तावित संशोधन एक अति विशिष्ट सुचारु प्रणाली की शुरुआत करेंगे। एक लेन-देन से संबंधित एक लिखत पर स्टाम्प शुल्क लगाए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से एक स्थान पर ही एकत्रित किए जाएंगे। इस प्रकार एकत्रित किए गए शुल्क को क्रेता ग्राहक के अधिवास के आधार पर राज्य सरकार के साथ निर्बाध रूप से साझा किया जाएगा।

भाग - ख : कर संबंधी प्रस्ताव

87. भारत के सभी लोगों और हमारी सरकार की ओर से सर्वप्रथम में राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान करने और समाज के गरीब तथा सीमांत वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी करदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। आपके द्वारा दिए गए करों से हमारी माताओं और बहनों को शौचालय सुविधा और कुकिंग गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है जिससे उन्हें गरिमा प्रदान करने में मदद मिलती है। आपके कर से उन गरीबों को बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं जो पीढ़ियों से अंधकार में रह रहे थे। आपके द्वारा दिए जाने वाले कर से 50 करोड़ भाइयों और बहनों तथा बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। आप ही वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से हमारे सेवानिवृत्त जवानों के लिए सम्मान, गरिमा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। करदाताओं, आपको धन्यवाद।

88. पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारे द्वारा किए गए कर संबंधी वृहत् सुधारों के कारण कर संग्रहण और कर आधार दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हम संतुलित कराधान-उच्च अनुपालन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इसलिए यह न्यायोचित होगा कि कर सुधारों से होने वाले कुछ लाभ मध्यमवर्गीय करदाताओं को भी दिए जाएँ। इसको ध्यान में रख कर मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे करदाताओं के कर भार में और कमी की जाएँ। हालांकि परंपरा के अनुसार मुख्य कर प्रस्ताव नियमित बजट में प्रस्तुत किए जाएंगे, छोटे करदाता विशेषकर मध्यमवर्ग, वेतनभोगी, पेंशनभोगी

और वरिष्ठ नागरिक वर्ष के प्रारंभ में ही अपनी कर देनदारी के बारे में मानसिक निश्चिंतता चाहते हैं। इसलिए, विशेषकर ऐसे वर्ग के व्यक्तियों से जुड़े कर प्रस्ताव लंबित नहीं रखे जाने चाहिए। अतः फिलहाल वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयकर की मौजूदा दरें जारी रखते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

89. जिन करदाताओं की कर योग्य वार्षिक आय ₹5 लाख तक है उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट मिलेगी और इसलिए उन्हें किसी प्रकार का आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके फलस्वरूप, ₹6.50 लाख तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भी किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा, यदि वे भविष्य निधि, विशिष्ट बचतों, बीमा आदि में निवेश करेंगे। वस्तुतः अतिरिक्त कटौतियों, जैसे कि गृह ऋण पर ₹2 लाख तक का ब्याज, शिक्षा ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में अंशदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए चिकित्सा-व्यय आदि के कारण इससे अधिक सकल आय वाले व्यक्तियों को भी कर का कोई भुगतान नहीं करना होगा। इससे लगभग 3 करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को ₹18,500 करोड़ का कर लाभ प्राप्त होगा। इन करदाताओं में अपना व्यवसाय करने वाले, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे।

90. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को ₹4,700 करोड़ का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

91. इस समय कल्पित किराए पर आयकर उसी स्थिति में देय होता है जब किसी के पास एक से अधिक ऐसे मकान हों जिनमें स्वयं रह रहा हो। अपनी नौकरी, बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों के चलते मध्यम वर्ग द्वारा दो स्थानों पर परिवारों के भरण-पोषण की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, मैं, स्वयं रहने वाले दूसरे मकान के कल्पित किराए पर भी आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

92. बैंकों/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹40,000 की जा रही है। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपतियों को लाभ होगा। इसके अलावा, किराए के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की सीमा को ₹1,80,000 से बढ़ाकर ₹2,40,000 करने का प्रस्ताव है ताकि छोटे करदाताओं को राहत दी जा सके।

93. आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत पूंजी-गत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा ₹2 करोड़ तक के पूंजी-गत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पुनर्निवेश तक बढ़ाया जाएगा। यह छूट जीवन-काल में एक ही बार प्राप्त की जा सकेगी।

94. सस्ते आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80-झखक के तहत दिए जाने वाले लाभ की अवधि एक वर्ष तक और बढ़ाई जा रही है, अर्थात् यह लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित गृह परियोजनाओं को भी दिया जा रहा है।

95. साथ ही, स्थावर संपदा सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने, न बिकी संपत्तियों के कल्पित किराए पर आय-कर छूट की अवधि, परियोजना पूरी होने वाले वर्ष के अंत से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया है।

समापन टिप्पणी

96. अध्यक्ष महोदया, यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं देश की विकास यात्रा का उत्सव है। यह जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। उसका श्रेय और यश उन्हीं को जाता है। हमारी सरकार में विकास का एक जन आंदोलन बन गया है।

97. हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सबने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। अब उनके साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत खड़ी करेंगे। इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया, जिसकी नियत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है।

98. इसी के साथ, मैं यह बजट इस गरिमामय सदन को समर्पित करता हूँ।



Interim Budget 2019-2020

Speech of
Piyush Goyal
Minister of Finance

February 1, 2019

Madam Speaker,

I rise to present the Interim Budget for the year 2019-20.

PART A

2. I am deeply conscious of the absence of Shri Arun Jaitley today. I am sure the House joins me in wishing Shri Jaitley speedy recovery, good health and a long life in the service of the nation.

3. Madam Speaker, the people of India gave a strong mandate to our Government. Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, we have given the most decisive, stable and clean Government and have undertaken transformational structural reforms. We have reversed the policy paralysis engulfing the nation and have restored the image of the country. The major achievement of this Government was that we strived our utmost to change the mind-set and ignited the self-confidence of the nation.

4. I can proudly say that India is solidly back on track and marching towards growth and prosperity. We have prepared the foundation for sustainable growth, progress and better quality of life for all our people.

5. We are moving towards realising a 'New India' by 2022, when we celebrate 75 years of India's independence: an India which is clean and healthy, where everybody would have a house with universal access to toilets, water and electricity; where farmers' income would have doubled; youth and women would get ample opportunities to fulfil their dreams; an India free from terrorism, communalism, casteism, corruption and nepotism.

State of the Economy

6. Madam Speaker, the last five years have seen India being universally recognised as a bright spot of the global economy. The country witnessed its best phase of macro-economic stability during this period. We are the fastest growing major economy in the world with an annual average GDP growth during last five years higher than the growth achieved by any Government since economic reforms began in 1991. From being the 11th largest economy in the world in 2013-14, we are today the 6th largest in the world. Besides generating high growth rate, we contained double-digit inflation and restored fiscal balance.

7. Inflation is a hidden and unfair tax on the poor and the middle class. The average rate of inflation during 2009-2014 was a backbreaking 10.1%. The then Prime Minister admitted as much when he said, *"We have also not been as successful in controlling persistent inflation as we would have wished. This is primarily because food inflation has increased."* In contrast, our Govt. broke the back of back-breaking inflation. We brought down average inflation to 4.6% which is lower than the inflation during the tenure of any other Government. In fact inflation in December 2018 was down to 2.19% only. If we had not controlled inflation, our families would have been spending around 35-40% more today on basic necessities such as food, travel, consumer durables, housing etc.

8. From the high of almost 6% seven years ago, the fiscal deficit has been brought down to 3.4% in 2018-19 RE. The current account deficit (CAD), against a high of 5.6% six years ago, is likely to be only 2.5% of GDP this year. We contained the fiscal deficit notwithstanding the Finance Commission's recommendations increasing the share of the States from 32% to 42% in central taxes, which we accepted in the true spirit of cooperative federalism, thereby transferring significantly higher amounts to the States.

9. Due to a stable and predictable regulatory regime, growing economy and strong fundamentals, India could attract massive amount of Foreign Direct Investment (FDI) during the last 5 years - as much as \$239 billion. This period also witnessed a rapid liberalisation of the FDI policy, allowing most FDI to come through the automatic route.

10. Madam Speaker, the last five years have witnessed a wave of next generation structural reforms, which have set the stage for decades of high growth. We have undertaken path breaking structural reforms by introducing Goods and Services Tax (GST) and other taxation reforms.

Banking Reforms and Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

11. The period of 2008-14 will be remembered as a period of aggressive credit growth and, as per RBI, the primary reason for spurt in non-performing loans and stressed assets. Outstanding loans of public sector banks ballooned from ₹18 lakh crore to ₹52 lakh crore during this period. Many projects were started that could either not be completed or had low capacity utilisation resulting in their inability to pay back their loans. There were high stressed and non-performing assets (NPAs) amounting to ₹5.4 lakh crore in 2014. Many more were hidden through restructuring or otherwise which were discovered during Asset Quality Reviews and inspections carried out since 2015.

12. We put a stop to such questionable practices and stopped the culture of “phone banking”. The 4Rs approach of recognition, resolution, re-capitalisation and reforms has been followed. A number of measures have been implemented to ensure Clean Banking. Through a transparent and accountable process, we recognised these NPAs. The Insolvency and Bankruptcy Code has institutionalised a resolution-friendly mechanism, which is helping in recovery of non-performing loans while preserving the underlying businesses and jobs. Earlier, only small businessmen used to be under pressure of repayment of loans while in the case of big businessmen, it was the headache of banks. But now, defaulting managements are either paying or exiting their businesses. An amount of close to ₹3 lakh crore has already been recovered in favour of banks and creditors. To restore the health of public sector banks, recapitalisation has been done with an investment of ₹2.6 lakh crore. Amalgamation of banks has also been done to reap the benefits of economies of scale, improved access to capital and to cover a larger geographical spread.

Steps against corruption

13. We have ushered in a new era of transparency. We have given a corruption free government. The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) and Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988 are helping to bring transparency in the real estate sector. The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 will help confiscate and dispose off the assets of economic offenders who escape the jurisdiction of the laws in India. Additionally, we conducted transparent auction of natural resources including coal and spectrum. We have walked the talk.

Cleanliness

14. As a tribute to Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary in 2019, our Government initiated the world's largest behavioural change movement with the Swachh Bharat Mission. India has achieved 98% rural sanitation coverage and as many as 5.45 lakh villages have been declared "Open Defecation Free." It is a holistic programme and has succeeded in changing the mindset of our people. With the people participation, they transformed it from a Government Scheme to a national movement. I thank the 130 core people of the nation for the success of Swachh Bharat Abhiyan who adopted it whole heartedly.

Poor and backward classes

15. The poor have the first right on the resources of the nation. The Government while maintaining the existing reservation for SC/ST/Other Backward Classes, have now ensured 10% reservation in educational institutions and Government services for poor. In these institutions, around 25% extra seats (approximately 2 lakh) will be provided so that, there is no shortfall of presently available/reserved seats for any class.

16. To provide food grains at affordable prices to the poor and middle classes, about ₹1,70,000 crores were spent in the year 2018-19 which is almost double the amount of ₹ 92,000 crores spent in the year 2013-14. We ensured that everyone gets food and none goes to sleep hungry. ₹60,000 crores are being allocated for MGNREGA in BE 2019-20. Additional amount would be provided if required.

17. We have worked to bridge the urban-rural divide in the country. Hon'ble Members in this August House, most of whom are from rural areas, will agree that several times in the past, only empty promises have been made to people living in our villages. During the last five years, we

have undertaken targeted expenditure to improve their quality of life in all its dimensions. Our aim, is to provide urban facilities in villages while keeping the soul of rural life intact.

18. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, construction of rural roads has been tripled. 15.80 lakh habitations out of a total of 17.84 lakh habitations have already been connected with pucca roads and work is going on to complete the rest very soon. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is being allocated ₹ 19,000 crore in BE 2019-20 as against ₹ 15,500 crore in RE 2018-19. There was time when a child used to reach school after walking on a foot trail, today the situation has changed and a bus can reach her/his village. During the period 2014-18, a total number of 1.53 crore houses have been built under the Pradhan Mantri Awas Yojana.

19. Till the year 2014, about 2.5 crore families were forced to live the life of 18th century without electricity. Under 'Saubhagya Yojna', we provided free electricity connection to almost every household. By March, 2019, all willing families will get electricity connection. In mission mode, we have provided 143 crore LED bulbs with the participation of private sector. This has resulted into a savings of approximately ₹ 50,000 crore per year in electricity bills of poor and middle class families.

20. Madam Speaker, past five years have seen massive scale up of health care. Earlier, a poor man used to be in dilemma whether to fulfil daily needs of the family or save the life of an ailing member. This situation has deeply pained our Hon'ble Prime Minister. We launched the world's largest healthcare programme, Ayushman Bharat, to provide medical treatment to nearly 50 crore people. Already close to 10 lakh patients have benefited for medical treatment which would have cost them ₹ 3,000 crore through free treatment made available under the scheme. Lakhs of poor and middle class people are also benefiting from reduction in the prices of essential medicines, cardiac stents and knee implants, and availability of medicines at affordable prices through Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras.

21. There are 21 AIIMS operating or being established in the country presently. 14 of these 21 AIIMS have been announced since 2014. I am happy to announce setting up of new the 22nd AIIMS in Haryana.

22. The Aspirational Districts Programme is providing targeted development to the 115 most backward districts of the country. The programme has achieved notable results with improved performance on all indicators - health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development.

Farmer's progress and Increase in Income

23. Madam Speaker, our hard working farmers were not getting the full value of their produce. With an aim to double the income of farmers, our Government, for the first time in history has fixed the minimum support price (MSP) of all 22 crops at minimum 50% more than the cost.

24. Agriculture continues to be the main driver of the rural economy. Our hard-working farmers, supported by pro-farmer policies of our Government in the past four and half years, have produced agriculture commodities in record quantities. Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since 2017-18, relative to non-food sector, have however, reduced the returns from farming. Small and fragmented land holding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor land-holder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labour etc. and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into clutches of money lenders.

25. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, our Government is launching a historic programme namely "**Pradhan Mantri Kisan SAMman Nidhi (PM-KISAN)**". Under this programme, vulnerable landholding farmer families, having cultivable land upto 2 hectares, will be provided direct income support at the rate of ₹6,000 per year. This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers, in three equal instalments of ₹2,000 each. This programme will be funded by Government of India. Around 12 crore small and marginal farmer families are expected to benefit from this. The programme would be made effective from 1st December 2018 and the first instalment for the period upto 31st March 2019 would be paid during this year itself. This programme will entail an annual expenditure of ₹75,000 crore.

26. PM-KISAN would not only provide assured supplemental income to the most vulnerable farmer families, but would also meet their emergent needs especially before the harvest season. PM-KISAN would pave the way for the farmers to earn and live a respectable living.

27. I propose an outlay of ₹ 75,000 crore for PM-KISAN for the FY 2019-20. I am also providing ₹ 20,000 crore in the Revised Estimates of FY 2018-19.

28. During the last five years, for providing affordable loans to farmers, the amount of interest subvention has been doubled. The crop loan to farmers increased to ₹11.68 lakh crore in year 2018-19. We have made genuine efforts to remove the hardships of farmers by providing them Soil Health Cards, quality seeds, irrigation scheme and Neem Coated Urea to remove shortage of fertilizers.

29. Animal Husbandry and Fisheries sector also needs considerable support. I have increased the allocation for Rashtriya Gokul Mission to ₹750 crore in the current year itself. I announce setting up of "Rashtriya Kamdhenu Aayog" to upscale sustainable genetic up-gradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Aayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows.

30. India is the second largest fish producing nation in the world accounting for 6.3% of global production, registering an average annual growth of more than 7% in recent years. The sector provides livelihood to about 1.45 crore people at the primary level. To provide sustained and focused attention towards development of this sector, our Government has decided to create a separate **Department of Fisheries**.

31. In the last Budget, our Government announced the facility of extension of Kisan Credit Card scheme (KCC) to Animal Husbandry and Fisheries farmers. Now, I propose to provide the benefit of 2% interest subvention to the farmers pursuing the activities of animal husbandry and fisheries, who avail loan through Kisan Credit Card. Further, in case of timely repayment of loan, they will also get an additional 3% interest subvention.

32. To ensure provision of easy and concessional credit and to bring all farmers under KCC fold, our Government has decided to initiate a comprehensive drive with a simplified application form.

33. When natural calamities strike, farmers are generally unable to repay their crop loans. Presently, the crop loans are rescheduled for such affected farmers and they get benefit of interest subvention of 2% only for the first year of the rescheduled loan. Our Government has now decided that all farmers affected by severe natural calamities, where assistance is provided from National Disaster Relief Fund (NDRF), will be provided the benefit of interest subvention of 2% and prompt repayment incentive of 3% for the entire period of reschedulement of their loans.

Labour and Workers Dignity

34. Madam Speaker, our Government firmly believes that workmen and all the people working in Government services should get benefit of the fast growing economy. During the last five years India has witnessed industrial peace.

35. High growth and formalisation of the economy has led to the expansion of employment opportunities as shown in EPFO membership, which has increased by nearly 2 crore in two years reflecting formalisation of the economy and job creations.

36. After submission of the 7th Central Pay Commission Report, the recommendations were implemented immediately. The New Pension Scheme (NPS) has been liberalized. Keeping the contribution of the employee at 10%, we have increased the Government contribution by 4% making it 14%. Maximum ceiling of the bonus given to the labourers has been increased from ₹ 3,500 pm to ₹ 7,000 pm and the maximum ceiling of the pay has been increased from ₹ 10,000 pm to ₹ 21,000 pm. The ceiling of payment of gratuity has been enhanced from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs. During the last five years the minimum wages of labourers of the all categories have been increased by 42%, which is the highest ever. The ceiling of ESI's eligibility cover has been increased from ₹ 15,000 pm to ₹ 21,000 pm. Minimum pension for every labourer has been fixed at ₹ 1,000 per month. In the event of death of a labourer during service, the amount to be paid by EPFO has been enhanced from ₹ 2.5 lakh to ₹ 6 lakh. Under Anganwadi and Asha Yojana honorarium has been enhanced by about 50% for all categories of workers.

37. Half of India's GDP comes from the sweat and toil of 42 crore workers in the unorganised sector working as street vendors, rickshaw pullers, construction workers, rag pickers, agricultural workers, beedi workers, handloom, leather and in numerous other similar occupations. Domestic workers are also engaged in big numbers. We must provide them comprehensive social security coverage for their old age. Therefore, in

addition to the health coverage provided under 'Ayushman Bharat' and life & disability coverage provided under 'Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana' and 'Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana', our Government proposes to launch a mega pension yojana namely '**Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan**' for the unorganised sector workers with monthly income upto ₹15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of ₹ 3,000 from the age of 60 years on a monthly contribution of a small affordable amount during their working age. An unorganised sector worker joining pension yojana at the age of 29 years will have to contribute only ₹100 per month till the age of 60 years. A worker joining the pension yojana at 18 years, will have to contribute as little as ₹55 per month only. The Government will deposit equal matching share in the pension account of the worker every month. It is expected that at least 10 crore labourers and workers in the unorganised sector will avail the benefit of '**Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan**' within next five years making it one of the largest pension schemes of the world. A sum of ₹500 crore has been allocated for the Scheme. Additional funds will be provided as needed. The scheme will also be implemented from the current year.

38. Our Government is committed to reach the most deprived citizens of this country. To this end, the condition of the De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic communities merits special attention. These communities are hard to reach, less visible, and therefore, frequently left out. The Nomadic and Semi-Nomadic communities move from place to place in search of a livelihood. The Renke Commission and the Idate Commission have done commendable work to identify and list these communities. A Committee under NITI Aayog will be set up to complete the task of identifying De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic communities not yet formally classified. Our Government will also set up a Welfare Development Board under the Ministry of Social Justice and Empowerment specifically for the purpose of implementing welfare and development programmes for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic communities. The Board shall ensure that special strategies are designed and implemented to serve these hard-to-reach communities.

Women's development to women led development

39. Madam Speaker, in our Election Manifesto, we had promised that we will transform the quality of life of women in rural India by providing cleaner fuel. For securing the health of every home-maker in rural areas and to ensure that she does not have to shed tears for cooking food to nourish her family, our Government embarked upon a programme to

deliver 8 crore free LPG connections under the Ujjwala Yojana. More than 6 crore connections have already been given and the remaining will get free gas connections by next year. Ujjwala is a remarkable success story of our Government programme, defined by a bold yet practical Vision of a responsible and compassionate leadership.

40. More than 70% of the beneficiaries of Pradhan Mantri MUDRA Yojana are women who are getting affordable and collateral-free loans to start their own businesses. Amongst many measures, benefits of Maternity leave of 26 weeks and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana for pregnant women have provided financial support to women while empowering them to participate in work.

Empowering Youth to fulfil their potential

41. India is amongst the most youthful nations in the world. Through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, over 1 crore youth are being trained to help them earn a livelihood. We have harnessed युवा शक्ति through self-employment schemes including MUDRA, Start-up India and Stand-up India. Under MUDRA Yojana 15.56 crore loans have been disbursed amounting to ₹7,23,000 crore. The concept of employment is changing all over the world, now the employment generation is not confined merely to Government services or factories. With job seekers becoming job creators, India has become the world's second largest start-up hub. We are proud of the hard work and innovative ideas of our youth.

42. In order to take the benefits of Artificial Intelligence and related technologies to the people, a National Programme on 'Artificial Intelligence' has been envisaged by our Government. This would be catalysed by the establishment of the National Centre on Artificial Intelligence as a hub along with Centres of Excellence. Nine priority areas have been identified. A National Artificial Intelligence portal will also be developed soon.

Empowering MSMEs and Traders

43. Government has undertaken many effective steps to strengthen MSME sector, which provides employment to crores of people. Recently, a scheme of sanctioning loans upto ₹ 1 crore in 59 minutes has been launched. GST-registered SME units will get 2% interest rebate on incremental loan of ₹ 1 Crore. The requirement of sourcing from SMEs by Government enterprises has been increased to 25%. Of this, the material to the extent of at least 3% will be sourced from women owned SMEs.

44. Government e-Marketplace (GeM), created by our Government two years ago, has transformed public procurement by making it fully transparent, inclusive and efficient. MSMEs have an opportunity to sell their products through GeM. Transactions of over ₹ 17,500 crore have taken place, resulting in average savings of 25-28%. The GeM platform is now being extended to all CPSEs.

45. We have focussed on supporting domestic trade and services. Our Government has recently assigned the subject of “promotion of internal trade including retail trading and welfare of traders, and their employees” to the Department of Industrial Policy and Promotion, which will now be renamed as the Department for Promotion of Industries and Internal Trade.

Strengthening Defence and National Security

46. Madam Speaker, our soldiers protect our borders in tough conditions. They are our pride and honour. We also respected their dignity. In our Election Manifesto, we had promised to implement One Rank One Pension (OROP). This was pending for the last 40 years and has been resolved by us. The previous Governments announced it in three budgets but sanctioned a mere ₹ 500 crore in 2014-15 Interim Budget; in contrast we have already disbursed over ₹ 35,000 crore after implementing the Scheme in its' true spirit. The Government also announced substantial hike in the Military Service Pay (MSP) of all service personnel and special allowances given to Naval and Air Force personnel deployed in high risk duties.

47. Our Defence Budget will be crossing ₹ 3,00,000 crore for the first time in 2019-20. For securing our borders and to maintain preparedness of the highest order, if necessary, additional funds would be provided.

Supporting Indians across the world

48. Today, all persons of Indian origin feel secure that their motherland Bharat cares for them and at times of need will support them. India's transformation has inculcated a sense of pride and respect for Indians and persons of Indian origin across the globe. We have taken several initiatives to strengthen their connect with India, facilitate their investment in India and ease their travel.

Infrastructure development

49. Infrastructure is the backbone of any nation's development and quality of life. Whether it is highways or railways or airways or even digi-

ways, we have gone beyond incremental growth to attain transformative achievements.

50. Because of 'UDAAN Scheme', today an ordinary citizen is also travelling by air. The number of operational airports has crossed 100 with the commissioning of the Pakyong airport in Sikkim. Domestic passenger traffic has doubled during the last five years leading to large number of jobs being created also. Today, India is the fastest highway developer in the world with 27 kms of highways built each day. Projects stuck for decades like the Eastern Peripheral Highway around Delhi or the Bogibeel rail-cum-road bridge in Assam and Arunachal Pradesh have been completed. The flagship programme of Sagarmala along the coastal areas of the country will develop ports for faster handling of import and export cargo. For the first time, container freight movement has started on inland waterways from Kolkata to Varanasi. Our Government will introduce container cargo movement to the North East as well, by improving the navigation capacity of the Brahmaputra river.

51. Indian Railways has experienced the safest year in its history. All Unmanned Level Crossings on broad gauge network have been eliminated. Introduction of the first indigenously developed and manufactured semi high-speed "Vande Bharat Express" will give the Indian passengers world class experience with speed, service and safety. This major leap in wholly developed technology by our engineers will give an impetus to the Make in India programme and create jobs. Capital support from the budget for railways is proposed at ₹ 64,587 crore in 2019-20 (BE). The Railways' overall capital expenditure programme is of ₹ 1,58,658 crore. The Operating Ratio is expected to improve from 98.4% in 2017-18 to 96.2% in 2018-19 (RE) and further to 95% in 2019-20 (BE).

52. India provided leadership to the global effort to address the problem of climate change. Our commitment to promote renewable energy is reflected in setting up the International Solar Alliance, the first treaty based international inter-governmental organisation headquartered in India. India's installed solar generation capacity has grown over ten times in last five years. This sector is now creating lakhs of new age jobs.

53. India's import dependence on crude oil and natural gas has been a source of big concern to our Government. While we have taken a large number of measures to moderate the increasing demand through usage of bio fuel and alternate technologies, urgent action is needed to increase hydrocarbon

production to reduce imports. A high level Inter-Ministerial Committee, constituted by our Government, has made several specific recommendations, including transforming the system of bidding for exploration, changing from revenue sharing to exploration programme for Category II and III basins. The Government is in the process of implementing these recommendations.

54. The people of North East have also received significant benefits of infrastructure development. Arunachal Pradesh came on the air map recently and Meghalaya, Tripura and Mizoram have come on India's rail map for the first time. Allocation for the North Eastern Areas is being proposed to be increased by 21% to ₹ 58,166 crore in 2019-20 BE over 2018-19 BE.

Digital India Revolution

55. Madam Speaker, India is now leading the world in the consumption of mobile data. Monthly consumption of mobile data increased by over 50 times in the last five years. The cost of data and voice calls in India is now possibly the lowest in the world. Today, under Make in India, mobile and parts manufacturing companies have increased from 2 to more than 268 providing huge job opportunities. More than 3 lakh Common Service Centres (CSCs) employing about 12 lakh people, are digitally delivering several services to the citizens. The Common Service Centres are expanding their services and also creating digital infrastructure in the villages, including connectivity, to convert the villages into Digital Villages. The Government will make 1 lakh villages into Digital Villages over next five years.

56. Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) and Direct Benefit Transfer have been game changers. Bank nationalisation was first done 50 years ago, but a large part of the country was still left out of the economic mainstream with no access to formal banking. In the last five years, nearly 34 crore Jan Dhan bank accounts were opened. Aadhaar is now near universally implemented. This has helped ensure the poor and middle class receive the benefits of Government schemes directly in their bank accounts by eliminating middlemen.

Entertainment

57. Entertainment industry is a major employment generator. To promote entertainment industry - Single window clearance for ease of shooting films, available only to foreigners, is now going to be made available to Indian filmmakers as well. Regulatory provisions will rely more

on self-declaration. We will also introduce anti-camcording provisions in the Cinematograph Act to control the menace of piracy.

Simplification of Direct Tax System to benefit Tax-payers

58. Madam Speaker, for making the life of our direct tax-payers easy, we reduced tax rates, more for the common man and middle class, and made the interface with the tax department much simpler and largely faceless. Due to this, the tax collections increased significantly from ₹ 6.38 Lakh crore in 2013-14 to almost ₹12 lakh crore this year. The number of returns filed have also increased from 3.79 crore to 6.85 crore showing 80% growth in tax base. I thank the honest taxpayers of India for reposing faith in our Government. Let me assure them that we have used their contribution to serve the poor and create better infrastructure.

59. The Income Tax Department now functions online. Returns, assessments, refunds and queries are all undertaken online. Last year, 99.54% of the income-tax returns were accepted as they were filed. Our Government has now approved a path breaking, technology intensive project to transform the Income-tax Department into a more assessee-friendly one. All returns will be processed in twenty-four hours and refunds issued simultaneously. Within the next two years, almost all verification and assessment of returns selected for scrutiny will be done electronically through anonymised back office, manned by tax experts and officials, without any personal interface between taxpayers and tax officers.

60. Reducing the tax burden on middle class has always been our priority ever since our Government took over in 2014. We increased the basic exemption limit from ₹2 lakh to ₹2.5 Lakh and gave tax rebate so that no tax was payable by persons having income up to ₹3 lakh. We also reduced the tax rate from 10% to 5% for the tax slab of ₹2.5 lakh to ₹5 lakh and introduced Standard Deduction of ₹40,000 for the salaried class. Deduction of savings under section 80C was increased from ₹1 lakh to ₹1.5 lakh. Deduction of interest for self-occupied house property was raised from ₹1.5 lakh to ₹2 lakh.

61. Special benefits and incentives were also given to small businesses and start-ups. Overall compliance processes were simplified. Threshold limit for presumptive taxation of business was raised from ₹1 crore to ₹2 crore. The benefit of presumptive taxation was extended for the first time to small professionals fixing threshold limit at ₹50 lakh. In order to promote a less cash economy, the presumptive profit rate has been reduced from 8% to 6%. The tax rate for companies with turnover

of up to ₹250 crore, covering almost 99% of the companies, was reduced to 25% which was also applicable to new manufacturing companies without any turnover limits.

GST Reform for benefit to consumers and businesses

62. The Goods and Services Tax (GST) reforms lingered on during the previous Government for almost a decade. Our Government implemented the GST, which is undoubtedly the biggest taxation reform undertaken since Independence. Seventeen different taxes levied by the Central and State/UT Governments with cascading effect of tax on tax, were consolidated into one GST. India became a common market. GST has resulted in increased tax base, higher collections and ease of trade. This will reduce the interface between the tax payer and the Government for day-to-day operations and assessments. Now returns are fully online and e-way bill system is in place. Inter-state movements have become faster, more efficient, and hassle free with no Entry Tax, check posts, and truck queues.

63. The high taxation levied on multiple commodities in the pre-GST regime has been rationalised and the burden on the consumer, especially the poor and the middle class, has been significantly reduced. The GST Council, comprising the Centre and States/UTs, finalised the GST rates collectively mostly lower than pre-GST rates. Since then, GST has been continuously reduced providing relief of about ₹80,000 crore annually to consumers. Most items of daily use of the poor and middle class are now in the 0% or 5% tax slab. Cinema goers who were subjected to multiple taxes up to 50% are mostly paying much lower tax at 12% now. Our Government wants the GST burden on home buyers to be reduced and accordingly we have moved the GST Council to appoint a Group of Ministers to examine and make recommendations in this regard at the earliest.

64. GST aims to benefit small traders, manufacturers and service providers. Exemptions from GST for small businesses has been doubled from ₹20 lakh to ₹40 lakh. Further, small businesses having turnover up to ₹1.5 crore have been given an attractive composition scheme wherein they pay only 1% flat rate and have to file one annual return only. Similarly, small service providers with turnover upto ₹50 lakhs can now opt for composition scheme and pay GST at 6% instead of 18%. More than 35 lakh small traders, manufacturers and service providers will benefit from these trader friendly measures. Soon, businesses comprising over 90% of GST payers will be allowed to file quarterly return.

65. In spite of such major rate reductions and relaxations, revenue trends are encouraging. The average monthly tax collection in the current year is ₹ 97,100 crore per month as compared to ₹ 89,700 crore per month in the first year. The State revenues are improving with guaranteed 14% annual revenue increase for the first five years.

Customs and Trading Across Border Reforms

66. To promote the “Make in India” initiative, we have undertaken rationalization of customs duties and procedures. Our Government has abolished duties on 36 capital goods. A revised system of importing duty-free capital goods and inputs for manufacture and export has been introduced, along with introduction of single point of approval under section 65 of the Customs Act. Indian Customs is introducing full and comprehensive digitalization of export/import transactions and leveraging RFID technology to improve export logistics.

Demonetisation and Drive against Black Money

67. Our Government is committed to eliminating the ills of black money from our country. The anti-black money measures taken by us during the last four and half years in the form of Black Money Law, the Fugitive Criminal Offenders Act, and Demonetisation, have brought undisclosed income of about ₹ 1,30,000 crore to tax, led to seizure and attachment of assets worth approximately ₹ 50,000 crore, and compelled holders of large cash currency to disclose their source of earnings. During this period, Benami assets worth ₹ 6,900 crore and foreign assets worth ₹ 1,600 crore have been attached. As many as 3,38,000 shell companies have been detected and de-registered, and their directors disqualified. Growth of 18% in direct tax collection in 2017-18 and increase in tax base by as many as 1.06 crore people filing income tax returns for the first time in FY 2017-18 is mainly on account of demonetization.

Vision for the next Decade

68. Madam Speaker, the NDA Government headed by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has laid the foundation for India's growth and development for times to come. We have resolved many problems which were coming in the way of realising our full potential as a society and an economy. We are poised to become a Five Trillion Dollar Economy in the next five years and aspire to become a Ten Trillion Dollar Economy in the next 8 years thereafter.

69. In the Indian ethos, anything which is good is supposed to bestow, cause, create and do good in all ten directions. I will, therefore, layout our vision for ten most important dimensions in 2030.

70. The First Dimension of this Vision will be to build physical as well as social infrastructure for a ten Trillion Dollar economy and to provide ease of living. It will comprise next generation infrastructure of roads, railways, seaports, airports, urban transport, gas and electric transmission and inland waterways. On the social infrastructure side, every family will have a roof on its head and will live in a healthy, clean and wholesome environment. We will also build a quality, science oriented educational system with Institutes of Excellence providing leadership at the top.

71. The Second dimension of our Vision is to create a Digital India reaching every sector of the economy, every corner of the country and impacting the life of all Indians. Digital Infrastructure and digital economy of 2030 will be built upon the successes achieved in recent years in digitisation of Government processes and private transactions. Our youth will lead us in this endeavour with innumerable start-ups creating digital India, and millions of jobs in this eco-system.

72. Making India a pollution free nation with green Mother Earth and blue skies is the Third Dimension of our Vision. This India will drive on Electric Vehicles with Renewables becoming a major source of energy supply. India will lead the world in the transport revolution through electric vehicles and energy storage devices, bringing down import-dependence and ensuring energy security for our people.

73. Expanding rural industrialisation using modern digital technologies to generate massive employment is the Fourth Dimension of our Vision. This will be built upon the Make in India approach to develop grass-roots level clusters, structures and mechanisms encompassing the MSMEs, village industries and start-ups spread in every nook and corner of the country. India is now on the way to becoming a global manufacturing hub in various sectors including automobiles and electronics, defence and medical devices.

74. Our rivers and water bodies are our life supporting assets. Our Government has worked vigorously for cleaning River Ganga. Fifth Dimension of our Vision for India of 2030 is Clean Rivers, with safe drinking water to all Indians, sustaining and nourishing life and efficient use of water in irrigation using micro-irrigation techniques.

75. India's long coastline has the potential of becoming the strength of the economy, particularly through exploitation of the Blue Economy, to ensure better standards and quality of life for a large number of people living in the coastal areas. Our efforts in the Sagarmala programme will be scaled up and we will develop other inland waterways faster. Our coastline and our ocean waters powering India's development and growth is the Sixth Dimension of our Vision.

76. The Seventh Dimension of our Vision aims at the outer skies. Our space programme – Gaganyaan, India becoming the launch-pad of satellites for the World and placing an Indian astronaut into space by 2022 reflect this dimension of our vision.

77. Making India self-sufficient in food, exporting to the world to meet their food needs and producing food in the most organic way is the Eighth Dimension of our Vision. High farm production and productivity will be achieved through modern agricultural practices and value addition. An integrated approach towards agro and food processing, preservation, packaging and maintenance of the cold chain will be our focus of attention.

78. A healthy India is the Ninth Dimension of our Vision. We will be aiming at healthy society with an environment of health assurance and the support of necessary health infrastructure. Our Government has rolled out the Ayushman Bharat scheme. By 2030, we will work towards a distress free health care and a functional and comprehensive wellness system for all. Such a healthy India built with the participation of women having equal rights and concern for their safety and empowerment.

79. Our Vision can be delivered by Team India - our employees working together with the elected Government, transforming India into a Minimum Government Maximum Governance nation. This is the Tenth Dimension. Our India of 2030 will have a proactive and responsible bureaucracy which will be viewed as friendly to people.

80. With this comprehensive ten-dimensional Vision, we will create an India where poverty, malnutrition, littering and illiteracy would be a matter of the past. India would be a modern, technology driven, high growth, equitable and transparent society.

The Fiscal Programme for 2019-20 and beyond

81. The estimate of incomes and expenditure which I am presenting today, pegs the fiscal deficit of year 2019-20 at 3.4% of GDP. We would have maintained fiscal deficit at 3.3% for year 2018-19 and taken further steps to consolidate fiscal deficit in year 2019-20. However, considering the need for income support to farmers we have provided ₹20,000 crore in 2018-19 RE and ₹75,000 crore in 2019-20 BE. If we exclude this, the fiscal deficit would have been less than 3.3% for 2018-19 and less than 3.1% for year 2019-20.

82. Total expenditure rises from ₹24,57,235 crore in 2018-19 RE to ₹27,84,200 crore in 2019-20 BE, a rise of ₹3,26,965 crore or approximately 13.30%. This reflects a high increase considering low inflation. Capital Expenditure for 2019-20 BE is estimated to be ₹3,36,292 crore. Centrally Sponsored Schemes (CSS) are proposed to be allocated ₹3,27,679 crore in BE 2019-20 as against ₹3,04,849 crore in 2018-19 RE. Allocation for National Education Mission is being increased from ₹32,334 crore in RE 2018-19 to ₹38,572 crore in BE 2019-20. Allocation for Integrated Child Development Scheme (ICDS) is being increased from ₹23,357 crore in RE 2018-19 to ₹27,584 crore in BE 2019-20.

83. A substantial increase is proposed in the allocation for welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The allocation of ₹56,619 crore made in BE of 2018-19 for Scheduled Caste, further increased to ₹62,474 crore in RE is proposed to be enhanced to ₹76,801 crore in BE for 2019-20, an increase of 35.6% over BE of 2018-19. For the Scheduled Tribes also, proposed allocation in 2019-20 BE is ₹50,086 crore as against ₹39,135 crore in BE 2018-19, an increase of 28%.

84. We have pursued the public enterprises asset management agenda to make these enterprises accountable to the people. As many as 57 CPSEs are now listed with total market capitalisation of over ₹13 lakh crore. The Government received over ₹1 lakh crore from disinvestment proceeds during 2017-18. We are confident of crossing the target of ₹80,000 crore this year.

85. We have maintained the glide path towards our target of 3% of fiscal deficit to be achieved by 2020-21. India's Debt to GDP ratio was 46.5% in year 2017-18. The FRBM Act prescribes that the Debt to GDP ratio of the Government of India should be brought down to 40% by 2024-25. Along with completion of the fiscal deficit consolidation programme, we will now focus on Debt consolidation.

86. Our Government had promised last year that we will carry out reforms in stamp duty levied and collected on financial securities transactions. I am proposing, through the Finance Bill, necessary amendments in this regard. The amendments proposed would usher in a very streamlined system. Stamp duties would be levied on one instrument relating to one transaction and get collected at one place through the Stock Exchanges. The duty so collected will be shared with the State Governments seamlessly on the basis of domicile of buying client.



PART B:**Tax Proposals**

87. On behalf of all the people of India and our Government, I would first like to thank all our taxpayers for their valuable contribution to nation building and for providing a better life to the poor and marginalized sections of society. Your tax helps provide dignity to our sisters and mothers with toilets and cooking gas connections. Your tax pays for the electricity connections to the poor who lived in darkness for generations. The tax you pay will provide health care to 50 crore brothers and sisters, and children. It is you who is ensuring respect, dignity, and a secure future to our retired jawans through One Rank One Pension. Thank you, taxpayers.

88. Because of major tax reforms undertaken by us during the last four and half years, both tax collections as well as the tax base have shown significant increase and we have made progress towards achieving a moderate taxation–high compliance regime. It is, therefore, just and fair that some benefits from the tax reforms must also be passed on to the middle class taxpayers. Keeping this in view, I propose to further reduce the tax burden on such taxpayers. Though as per convention, the main tax proposals will be presented in the regular budget, small taxpayers especially middle class, salary earners, pensioners, and senior citizens need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals, particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present the existing rates of income tax will continue for FY 2019-20, I propose the following:

89. Individual taxpayers having taxable annual income up to ₹ 5 lakhs will get full tax rebate and therefore will not be required to pay any income tax. As a result, even persons having gross income up to ₹ 6.50 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance etc. In fact, with additional deductions such as interest on home loan up to ₹ 2 lakh, interest on education loans, National Pension Scheme contributions, medical insurance, medical expenditure on senior citizens etc, persons having even higher income will not have to pay any tax. This will provide tax benefit of ₹ 18,500 crore to an estimated 3 crore middle class taxpayers comprising self employed, small business, small traders, salary earners, pensioners and senior citizens.

90. For salaried persons, Standard Deduction is being raised from the current ₹ 40,000 to ₹ 50,000. This will provide additional tax benefit of ₹ 4,700 crore to more than 3 crore salary earners and pensioners.

91. Currently, income tax on notional rent is payable if one has more than one self-occupied house. Considering the difficulty of the middle class having to maintain families at two locations on account of their job, children's education, care of parents etc. I am proposing to exempt levy of income tax on notional rent on a second self-occupied house.

92. TDS threshold on interest earned on bank/post office deposits is being raised from ₹ 10,000 to ₹ 40,000. This will benefit small depositors and non-working spouses. Further, the TDS threshold for deduction of tax on rent is proposed to be increased from ₹ 1,80,000 to ₹ 2,40,000 for providing relief to small taxpayers.

93. The benefit of rollover of capital gains under section 54 of the Income Tax Act will be increased from investment in one residential house to two residential houses for a tax payer having capital gains up to ₹ 2 crore. This benefit can be availed once in a life time.

94. For making more homes available under affordable housing, the benefits under Section 80-IBA of the Income Tax Act is being extended for one more year, i.e. to the housing projects approved till 31st March, 2020.

95. Also, for giving impetus to the real estate sector, I have proposed to extend the period of exemption from levy of tax on notional rent, on unsold inventories, from one year to two years, from the end of the year in which the project is completed.

Concluding Remarks

96. Madam Speaker, This is not merely an Interim Budget, but a medium of the country's development journey. All the transformation that we are witnessing, is because of the passion of the people of our nation. The credit goes to them only. Development has become a mass-movement during the period of our Government.

97. We will transform India into a leading nation of the world with the help of our people. We, along with them have laid the foundation. A grand edifice will be erected with their support. We have given a decisive leadership, whose intent is clear, policy is transparent and integrity is resolute.

98. With this, I commend the Budget to this august House.